8/2/24, 9:11 AM Court Order Print





न्यायालय : - तहसीलदार मण्डल :देवीपाटन , जनपद :गोंडा , तहसील :तरबगंज कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202208300611489 वाद संख्या:- 11489/2022 गीता देवी बनाम वीरेन्द्र उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34 अंतिम आदेश " आदेश तिथि:- 16/02/2023

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही उपनिबन्धक कार्यालय तरबगंज द्वारा प्रेषित आर0सी0प्रपत्र-11 पर प्रारम्भ होकर नियमानुसार इश्तिहार जारी हुआ जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति नही आयी वाद निर्विवाद है। पत्रावली वादिनी के साक्ष्य हेतु नियत की गयी। मुकदमा साक्ष्य के अभाव में निरस्त होने के उपरान्त वादिनी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकृत होकर पत्रावली की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई। वादिनी अधिवक्ता श्री जे0पी0 एडवोकेट द्वारा अभिभाषक पत्र दाखिल किया गया।

वादिनी ने अपने साक्ष्य मे असल दस्तावेज बैनामा व नकल खतौनी ग्राम-कल्यानपुर, परगना-नवाबगंज प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त क्रेता ने बावत् विवादित भूमि गाँव सभा, पटटा सीलिंग, तथा धारा 98 धारा 89 से आच्छादित नहीं होने के तहत अपना शपथ पत्र तथा प्रतिवादी ने अपना अकबालदावा प्रस्तुत किया। दाखिल शपथ पत्र एवं विक्रय विलेख तथा संलग्न लेखपाल बयान के आधार पर क्रेता तथा विक्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नहीं है लेखपाल का बयान आदेश का अंग होगा। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादिनी के हक में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। तद्नुसार आदेश दिया जाता है कि:-

आदेश

ग्राम-कल्यानपुर, परगना-नवाबगंज के खतौनी वर्ष 1428 से 1433 फसली के खाता सं. 1122 के गाटा संख्या 321/0.1350 हे0 मे हिस्सा 1/2 भाग रकबा 0.0675 हे0 सम्पूर्ण मालगुजारी बमुताबिक 60ख से विक्रेता वीरेन्द्र पुत्र सन्तबक्श निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता श्रीमती गीता देवी पत्नी श्रीनिवास निवासी ग्राम नवाबगंजगिर्द परगना नवाबगंज का नाम पंजीकृत बैनामा पंजीकरण संख्या-12085 दिनांकित-01.12.2022 प्रतिफल धनराशि 300000/रू0 के आधार पर सहखातेदार स0भू0 दर्ज हो।

वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (डॉ0पुष्कर मिश्र) तहसीलदार तरबगंज। 8/2/24, 9:11 AM Court Order Print





Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"